## "फार्म एफसी - जीपीआर"

[भारतीय रिज़र्व बैंक के जिस क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार में घोषणा करने वाली कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है उसके पास प्रस्तुत किया जाए।.

हम (कंपनी का नाम)---------------------------------------------

घोषित करते हैं कि दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी में प्रदत्त अनुमोदन के अधीन अनिवासियों को शेयर जारी करने के पात्र होने पर हम जारी किए गए शेयरों के संबंध में निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करते हैं।

1. अनिवासियों को शेयर जारी करनेवाली भारतीय कंपनी का नाम और पता (पंजीकृत कार्यालयऋ

2. कंपनी पहले से मौजूद कंपनी है या हाल ही में गठित नई कंपनी है

3. कंपनी के कार्यकलाप

**एनआईसी कोड** **विवरण**

यदि एनआईसी कोड उस कार्यकलाप को नहीं दिया गया है तो कंपनी नज़दीकी विस्तृत श्रेणी में वर्गीकृत हो। अगर कार्यकलाप को एनआईसी केड में वर्गीकृत करना मुमकिन न हो तो सिर्फ ब्योरा दिया जाए।

4. निर्गम किए गय शेयर / परिवर्तनीय डिबेंचर के ब्योरे

   (क) विदेशी निवेशक का नाम और देश

   (ख) निवेशक की श्रेणी (विदेशी / विदेश में निवासी भारतीय/ विदेशी कंपनी निकाय/एफआईआई/विदेशी कंपनी/एफवीसीएफ, एफवीसीसी इत्यादि)

   (ग) क्या शेयरों का स्वचालित मार्ग / सरकारी अनुमोदन अथवा अधिमानित / बोनस आधार पर से निर्गम किया गया है (जहां लागू हो, कृपया एसआईए/एफआईपीबी अनुमोदन क्रमांक दर्शाएं)

(घ) निर्गमित शेयर / परिवर्तनीय डिबेचर के ब्योरे (कृपया ईक्विटी शेयर, प्रिफरेंस शेयर तथा परिवर्तनीय डिबेंचरों के ब्योरे अलग दर्शाएं)

| **शेयरों / परिवर्तनीय डिबेंचरो की संख्या निर्गम मूल्य** | **शेयरों का अंकित मूल्य/ सम मूल्य (रु.) / प्रीमियम रु.- प्रति शेयर, नियंत्रित प्रीमियम गैर कैपिटेशन शुल्क, आदि** | **कुल अंकित मूल्य बोनस शेयर के मामलें में अनुपात** |
|---|---|---|

अनिवासियों को शेयर जारी करने के :
कारण कुल अंतर्वाह (प्रीमियम : रु.
सहित, यदि कोई हो) :

(घ) (i) हम सूचीबद्ध कंपनी हैं, सेबी दिशानिदेशों के अनुसार मुल्य प्रति शेयर रु. है।

अथवा

(ii) कंपनी सूचीबद्ध नहीं है, पूर्ववर्ती सीसीआई के दिशानिदेशों के अनुसार शेयर का उचित मूल्य रु.

अथवा

(iii) अधिकारी आधार पर शेयर जारी किए जा रहे हैं

अथवा

(iv) शेयर विलयन/डीमर्जर /समामेलन के फलस्वरूप जारी किए गए हैं

5. कंपनी का पूंजी ढांचा
(मद 4 के अनुसार शेयर जारी करने के बाद)

| | | | ईक्विटी | (रुपये) अधिमानी |
|---|---|---|---|---|
| I | प्रदत्त पूंजी | | | |
| II | (क) अनिवासी निवेश | | | |
| | (i) | अनिवासी भारतीय/ विदेशी कंपनी निकाय | | |
| | (ii) | निवासी निवेश | | |
| | | कुल | ---------- | ---------- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| III | प्रदत्त पूंजी में अनिवासी निवेश का वर्तमान प्रतिशत [II क I के प्रतिशत के रूप में :. | :. अनिवासी भारतीय/ | |
| | | :. विदेशी कंपनी निकाय | --------% |
| | | :. अन्य | --------% |
| | | कुल | --------% |

**घोषणा**

हम एतद्वारा घोषित करते हैं कः-

1. हमने 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.20/2000-आरबी में दर्शाए गए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत शेयर जारी करने वाली प्रणाली का सावधानी से अनुपालन किया है।
2. विदेशी ईक्विटी/ईक्विटियों (व्यक्तियों के अलावा) जिन्हें हमने शेयर जारी किए हैं उनका भारत में कोई भी पूर्व संयुक्त उद्यम या तकनीकी सहभागिता या ट्रेड मार्क करार है / नहीं है ।
3. हमें औद्योगिक अधिनियम 1951 (विकास और विनियम) या सरकार द्वारा अधिसूचित 1991 की नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।
4. हम एसएसआई इकाई हैं और 24 प्रतिशत की निवेश सीमा का पालन किया गया हे अथवा हम एसएसआई इकाई नहीं हैं (जो लागू न हो उसे हस्ताक्षर करके निकाल दें)
5. हमारा प्रस्ताव भारतीय रिज़र्व बैंक के स्वचलित मार्ग के अंतर्गत आने वाले सेक्टर नीति / अनुमत सीमा के भीतर है।

अथवा

II शेयर, दिनोंक के ------------------- एसआईए / एफआईपीबी अनुमोदन क्र.-------------के अनुसार जारी किए गए हैं

अथवा

III शेयर को अधिमानी आधार पर जारी किया गया है और अनिवासी को जारी शेयर का मूल्य, जिस मूल्य पर निवासी को शेयर जारी किए गए है, उससे कम नहीं हैं।

अथवा

IV जारी किए गए शेयर बोनस शेयर हैं

अथवा

V दो अथवा अधिक भारतीय कंपनियां विलयन और समामेलन योजना के अंतर्गत जारी किए गए शेयर अथवा डिमर्जर अथवा भारतीय कंपनी द्वारा पुनः निर्मित, भारत में न्यायालय द्वारा यथावत अनुमोदित

कृते----------------(कंपनी का नाम /मुहर)
हस्ताक्षर
नाम(--------------------------------)
*पदनाम(------------------------------)

तारीख :

स्थान :

(कंपनी के वरिष्ठ / जिम्मेदार अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)

.